



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2009/आषाढ़ 25, 1931

No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2009/ASADHA 25, 1931

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 527(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है:

(i) क्र.सं. 32, जो पहली अनुसूची के खंड I, भाग क में पूर्व-संशोधित वेतनमान एस-30 (22400-525-24500 रुपए) के बारे में है, को निम्नवत संशोधित किया जाएगा:-

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन ढांचा		
क्र.सं.	पद/ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	अनुरूपी वेतन बैंड/वेतनमान	अनुरूपी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	एस-30	22400-525-24500	एच.ए.जी.	67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000	शून्य

(ii) तालिका में आखिरी लाइन पी.बी. 4 (37400-67000 रुपए) जो पहली अनुसूची के खंड II, भाग क में 12000 रुपए के ग्रेड वेतन के बारे में है, को मिटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 01/01/2008-आई.सी]

मधुलिका पी.सुकुल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 को जी.एस.आर. 622 (ई), दिनांक 29 अगस्त, 2008/भाद्रपद 7, 1930 के तहत अधिसूचित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2009

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following amendment to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued:

- (i) Sl.No.32, which relates to the pre-revised scale S-30 (Rs.22400-525-24500) in Section 1, Part A of the First Schedule shall be amended as under:-

(In Rupees)

Present Scale			Revised Pay Structure		
Sl. No.	Post/ Grade	Present Scale	Name of Pay Band/ Scale	Corresponding Pay Bands/ Scales	Corresponding Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	S-30	22400-525-24500	HAG	67000-(annual increment @ 3%)-79000	Nil

- (ii) The last row in the table PB-4 (Rs.37400-67000) which relates to grade pay of Rs.12000 in Section II, Part A of the First Schedule shall be deleted.

[F. No. 01/01/2008-IC]
MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy.

Foot Note: The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified vide G.S.R. 622(E) dated the 29th August, 2008/Bhadrapada 7, 1930.